2. सुविधा का संतुलन :– चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि होने के कारण केवल प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नहीं हो सकता। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– चुंकि पूर्वविवेचित दोनो बिन्दु प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित हुये है साथ ही प्रार्थी यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहें है कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। जबकि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है तथा वादग्रस्त आराजी के भू राजस्व रेकर्ड में रेकॉर्डेड खातेदार ही नहीं हैं। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 05.02.2025 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)